निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 725) पटना, मंगलवार, 17 सितम्बर 2013

सं0 नि0मु0ले0(क्रय)–01/09—9593/वि(2)
वित्त विभाग

संकल्प
17 सितम्बर 2013

विषयः– सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना एवं प्रेस एवं फार्म्स गया के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों का क्रय मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना से एकल निविदा के माध्यम से करने के संबंध में अवधि विस्तार।

सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा प्रेस एवं फार्म्स, गया में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की परिपत्रों, फार्मों बिहार विधान–सभा/विधान परिषद के विभिन्न प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रपत्रों के मुद्रण हेतु विभिन्न प्रकार की कागजों की आवश्यकता होती है। कागजों के क्रय हेतु जनसंपर्क विभाग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर तकनीकी समिति/क्रय समिति की अनुशंसा एवं सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यकतानुसार निजी फार्मों से कागजों का क्रय किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्रय समिति द्वारा कागजों का निम्नतम दर के आधार पर क्रय की स्वीकृति दी जाती है। कागजों के क्रय के उपरान्त कागज की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर से करायी जाती है। ऐसा पाया जाता है कि अधिकांश फार्मों द्वारा दिए गए नमूने के विरुद्ध वास्तविक रुप से आपूर्ति किए गए कागजों की गुणवत्ता, विशिष्टि के अनुरुप नहीं होने के कारण फार्मों को भुगतान हेतु रोकी गई राशि से कटौती करनी पड़ती है, साथ ही जांच की प्रक्रिया में देर होने से बाजार में विभाग की साख घटती है। (केन्द्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर से कागजों के नमूने की जांच की प्रक्रिया जटिल एवं काफी खर्चीली है)।

2. उपर्युक्त कठिनाईयों के निदान हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या 213 दिनांक 10.1.2011 द्वारा भविष्य में अगले तीन वर्षों (2010–13) तक उपर वर्णित दोनो प्रेसों के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि0 पटना के सेल्स आफिस से एकल निविदा के माध्यम से विशेष परिस्थिति में लिए जाने वाले कागज के मूल्य का शत–प्रतिशत भुगतान के शर्तों के आधार पर उसके द्वारा उत्पादित कागजों के निर्धारित दर पर क्रय करने का निर्णय लिया गया था। चूंकि यह व्यवस्था उक्त संकल्पित अवधि तीन वर्ष (2010–13) तक के लिए ही थी जो समाप्त हो चुकी है। उक्त संकल्पित अवधि में दोनो प्रेसों में कागज के कमी की कोई शिकायत नहीं आई तथा न ही मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि0 की ओर से कोई समस्या उत्पन्न हुई।

3. सरकार द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अगले तीन वर्षों (2013–16) तक की उपर वर्णित दोनों प्रेसों के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स दिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के सेल्स ऑफिस से एकल निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

4. इस हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि0, पटना से कागज आपूर्ति किए जाने के क्रम में बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 131 (भ) के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए संविदा के मूल्य का 40 प्रतिशत ही अग्रिम के रुप में दिए जाने का प्रावधान है परन्तु मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि0 के आपूर्ति के शर्तों पर विचार करते हुये विशेष परिस्थिति में ली जानेवाली कागज के मूल्य का शत–प्रतिशत भुगतान अग्रिम के रुप में किये जाने हेतु अगले तीन वर्षों (2013–2016) तक एकल संविदा के माध्यम से उनके द्वारा उत्पादित कागजों के लिए अधिकृत विक्रेता घोषित करते हुये उसकी निर्धारित दर पर क्रय करने के अगले तीन वर्षों (2013–16) के लिए अवधि विस्तार किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतियां सभी संबंधित विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी कोषागार पदाधिकारियों/सभी उप कोषागार पदाधिकारियों के सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सरकार के सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 725-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in